

प्रेषक,

रेणु कुमारी,  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक :

विषय- डा0 अविनाश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 8889 (2) वि0 दिनांक 24.12.1986, पत्रांक 1829 वि0 (2) दिनांक 07.04.2005 एवं महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक LR: 160120260200995 के आलोक में डा0 अविनाश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कभी भी लंबित अकेक्षण/निरीक्षण प्रतिवेदन स0 106/25-26, PR-13889 एवं 103/25-26 के निष्पादन के क्रम में कोई वसूली का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा0 अविनाश कुमार सिंह से की जाएगी ।

3. डा0 अविनाश कुमार सिंह की सेवा निवृत्ति की तिथि 31.01.2026 है ।

4. अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय ।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

( रेणु कुमारी )

ज्ञापांक: 233(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 11/03/2026

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 अविनाश कुमार सिंह, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना, पत्राचार का पता-आशियाना दीघा रोड, के0पी0 टावर, थाना-राजीवनगर, जिला-पटना, पिन-800025, मो0नं0-7903320489 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,7,8,9 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी